न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—208/2015/223 (2015/00120)

1. बाबूलाल पुत्र हण्डू, जाति जाटव, निवासी बरवारा, तह0 नदबई, हाल आबाद सुभाषनगर, गली नंबर 23, कपिल नगर, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बलराम,
2. हरसहाय,
   पुत्रान भैरो,
3. मक्खन पुत्र नारायण,
   जाति जाट, निवासी बरवारा, तह0 नदबई, जिला भरतपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर ।
5. मैनेजर, एस0बी0आई0 शाखा, नदबई, जिला भरतपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नदबई, जिला भरतपुर दिनांक 21.3.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 16/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री गौरव दवे, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः—12.09.2018

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नदबई, जिला भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2014 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो मान0 राजस्व मण्डल में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या संख्या टीए/मुन्तकिली/7408/14 प्रस्तुत किये जाने पर मान0 राजस्व मण्डल ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में दिनांक 1.4.2015 को निर्णय पारित कर हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा को स्थानातंरित किये जाने के आदेश पारित किये । प्रकरण स्थानातंरण से प्राप्त होने के उपरांत न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, नदबई के न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 88य, 89 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि भू—प्रबंध

2028 से पूर्व के आराजी ासरा नंबर 75 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा नंबर 236 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा में से 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के वादी के पिता हंडू पुत्र कलुआ खातेदार व काबिज थे । उनकी मृत्यु संवत् 2010 में हो गई उस समय वादी की उम्र मात्र 6 माह थी । वादी की माता सुगनी देवी वादी को लेकर अजमेर में छोटेलाल के यहां खानन्दाज हो गई । माता की मृत्यु भी सन् 1977 में हो चुकी है । इस तरह विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। यह आराजी खसरा नंबर 749 रकबा 0.40,750 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 751 रकबा 0.1999 है0, खसरा नंबर 752 रकबा 0.19 है0 तथ खसरा नंबर 322 रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 323 रकबा 0.01,324 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम बरवारा तह0 नदबई में स्थित है । उक्त आराजी में खसरा नंबर 322 रकबा 0.58,323 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 224 रकबा 0.52 है0 वाके बरवारा तह0 नदबई में 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 749 रकबा 0.40,750 रकबा 0.19,752 रकबा 0.19 वाके बरवारा तह0 नदबई में से कच्चा 5 बिस्वा पर वादी खातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । खसरा नंबर 332 रकबा 0.56 सैटलमेंट संवत् 2028 द्वारा बनाये गये खसरा नंबर 181 से व हाल खसरा नंबर 323, 324 खसरा नंबर 182 से बने है तथा हाल खसरा नंबर 749, 750, 751, 752 वाके बरवारा साबिक खसरा नंबर यानि भू–प्रंध 2028 के खसरा नंबर 436, 437, 438 से बने है । भू–प्रबंध संवत् 2028 के खसरा नंबर 181, 182, 436, 437, 438 सैटलमेंट संवत् 2028 से पूर्व खसरा नंबर 75, 235, 236 से बने है । उक्त आराजी में खसरा नंबर 235 मिन का रबा 1 बीघा मिलाया गया है । उक्त आराजी वादी मृतक पिता हंडू पुत्र कलुआ के नाम खातेदारी में थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में हाल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम उक्त आराजी संख्या 749, 750, 751, 752 पर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा खसरा नंबर 322, 323, 324 वाके बरवारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम इन्द्राजात खातेदारी के चले आ रहे है । अतः वादी वादी स्वीकार कर खसरा नंबर 322, 323, 324 के 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 749, 750, 751, 752 में कच्चा रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि 84 है0 का खातेदार घोषित किया जावे व बयनामा तारीख दिनांक 12.8.1981 को बातिल व बेअसर घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजियात रहन, वय न करने व बेदखल न करने व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नदबई ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2014 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे मान0 मण्डल ने आदेश दिनांक 1.4.2015 द्वारा न्यायालय हाजा को स्थानातंरित की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं कियाकि विवादित आराजी पर राज0काश्त0अधि0 के लागू होने के पूर्व से अपीलांट/वादी के पिता स्व0 हण्डू बहैसियत उपकृषक की हैसियत से काबिज रहे है तथा उन्हें उक्त अधि0 की धारा 15 व 19 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जो हण्डू के स्वर्गवास के बाद उत्ताराधिकार के रूप में अपीलांट को प्राप्त हो चुके है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि संवत् 2028 से पूर्व बने खसरा नंबर 75 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 236 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा से 5 बीघा 5 बिस्वा रकबा पर सवंत् 2010 में अपीलांट/वादी के पिता हण्डू की काश्त व शिकमीयत की हैसियत से काश्तकार दर्ज है । इसके

अतिरिक्त मालिक के खाने में मूर्ति मंदिर का अंकन रहा है और काश्तकार के रूप में अपीलांट के पिता दर्ज है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादी/अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष कि अपीलांट/वादी उस समय नाबालिग रहा था इसलिये उसका राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव में आने के समय विवादित आराजी पर कब्जा होने का कोइ प्रश्न ही नहीं है,कतई गलत है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के बाद का प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण में कोई तनकियात विचरित नहीं की और सरसरी तौर पर वादी का वाद खारिज किया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विपरीत होने से अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों का उल्लघंन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत ने 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट के पिता का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त की आराजियात है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात संवत् 2012 के पूर्व से ही टिनेन्ट की खातेदारी में थी जिनसे प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की है तभी से रेस्पो0 विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट मृतक हण्डू का पुत्र नहीं है बल्कि अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है । मृतक हण्डू के कोई संतान नहीं थी । रेस्पोडेंटस के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना अपीलांट/वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा ना ही राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार ही है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधी0न्याया0 के निर्णिय व डिक्री का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में विवादित आराजियात बाबत् धारा 88, 89 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध दिनांक 4.2.2011 को वाद प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री पतराम शर्मा, श्री औमप्रकाश शर्मा अभिभाषक ने दिनांक 11.4.2011 वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात् दिनांक 1.9.2011 को प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया । दिनांक 30.9.2011 से लगभग 7 पेशियों तक पत्रावली वास्ते तनकियात कायमी हेतु चली तथा प्रकरण में 10 तनकियात कायम भी गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो सी0पी0सी0 के आज्ञात्मक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है । अधी0न्याया0 को आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था ।

6. उक्त समस्त विवेचन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं

रखा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् नहीं रखा जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नदबई, जिला भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनाक 21.3.2014 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नदबई को निर्णय में दिये गये आबर्ज्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर